2024139

FORM No. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी ,सवाई माधोपुर

अज अदालत.....मुकाम.....

.....गोपाल.....बनाम.....दयाराम वगै0.....

.....

किस्म मुकदमा.....राज0 काश्तकारी अधि0 1955 अर्न्तगत धारा 225.....नं.....62.....सन्.....2022....

.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/10/22	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री रिषिराम मीना उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नंबर 58/21 बउनवान दयाराम बनाम गोपाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 से मियाद बाहर पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती जिला करौली के आदेश दिनांक 12.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा विरूद्ध अप्रार्थीगण के दिनांक 23.09.2021 तक इस कदर जारी की गई कि वे हाल आराजी ख.नं. 3195 रकबा 0.14 हैक्टर ,खसरा नंबर 3196 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नंबर 3186 रकबा 0.05,खसरा नंबर 3193 रकबा 0.04 हैक्टर , खसरा नंबर 3197 रकबा 0.11 हैक्टर, कुल किता 05 कुल रकबा 0.48 हैक्टर एवं खसरा नंबर 3187,3188,3189,3190 स्थित ग्राम गुढाचन्द्रजी के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करें। मातहत अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने विवादित आराजीयात को अपनी खातेदारी में बताते हुए एक पक्षीय अन्तिरम स्थगन आदेश मातहत अदालत से प्राप्त कर लिया जबकि अपीलांटस् की ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ, न ही अपीलांट के जवाब पर कहीं हस्ताक्षर है। मातहत अदालत को	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दुसरे पक्ष को भी सुनकर आदेश दिया जाना चाहिए था तथा खसरा नंबर 3195 के गोपी पुत्र जोडया माली, देवेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल महाजन, मोन पुत्र श्रवण महाजन खसरा नम्बर 3196 के रामसहाय पुत्र भोरया एवं खसरा नम्बर 3186, 3193 ,3197 गोपी पुत्र कजोडया सहखातेदार है जो अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है इनको दावे में पक्षकार नही बनाया गया। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.07.21 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलाण्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अंतरिम आदेश की जानकारी दिनांक 22.09.22 को तहत अदालत के समक्ष मुकदमे में पेश होने पर हुई। जानकारी पर वकील साहब से कानूनी सलाह व मशवरा लिया गया । सलाह पर दिनांक 22.09.22 को आदेश की नकल प्राप्त की। रूपयो पैसे का इंतजाम कर मुकर्रिरा मियाद के अन्दर अपील दायर की जा रही है। देरी की अवधि को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः अपील हाजा को अंदर मियाद फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम की एकपक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया। अपीलाण्टान के अधिकारों का हनन किया गया है। अपीलाण्टगण विवादित आराजीयात के सहखातेदार काश्तकार है। इसके अतिरिक्त लगभग अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के करीब एक साल बाद भी निर्णय अन्तिम रूप से नहीं किया गया है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 12.07.21 को अपास्त किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.21 का अवलोकन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय; महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं–

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।
2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।
3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।
4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत् 2077 ग्राम गुढाचन्द्रजी का अवलोकन किया गया, जिसमें अपीलाण्टगण विवादित आराजी खसरा संख्या 3187, 3188 3189, 3190 के रेकार्डेड़ व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 खसरा संख्या 3196, 3186, 3193, 3197, 3195 में सहखातेदार काश्तकार है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनेक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक रेकॉर्डेड खातेदार व्यक्ति के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत के आदेशिक दिनांक 12.07.21 में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर उसी दिन अप्रार्थीगण/अपीलाण्टगण को बिना सुने ही एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई।

द्वितीय, अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं की व्याख्या नहीं की गई है कि किस प्रकार ये तीनों घटक प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट के पक्ष में हैं।

तृतीय, अदालत मातहत द्वारा करीब एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। जबकि ऐसे आदेशों को 01 माह की अवधि में निस्तारित किया जाना अनिवार्य है।

चतुर्थ, अदालत मातहत द्वारा पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 12.03.2014 के मार्गदर्शनों की पालना नहीं की गई है।

पंचम, तहत अदालत की आदेशिका में ऐसी किसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं है कि प्रकरण 'अत्यंतावश्यकता' का है, जिसके कारण एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी नादौती के प्रकरण संख्या 58/21 बउनवाान दयाराम बनाम गोपाल के आदेश दिनांक 12.07.21 को विवादित आराजीयात खसरा नंबर 3187, 3188, 3189 व 3190 वाके ग्राम व पटवार हल्का गुढान्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली का प्रचलन स्थगित किया जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 17.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner